

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग,  
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक ..... / पटना, दिनांक ..... / 2016

सं०सं०-ह०क०(10) बैठक-01 / 2016

प्रेषक,

निदेशक,  
हस्तकरघा एवं रेशम,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,  
जिला उद्योग केन्द्र,  
बांका / नालन्दा / नवादा / औरंगाबाद / रोहतास / पटना / मधुबनी / सिवान /  
कैमूर / प० चम्पारण / खगड़िया।  
उप विकास पदा०(वस्त्र), गया / भागलपुर।

विषय:-

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तगत वर्ष 2016-17 के लिए कार्यरत बुनकरों का हस्तकरघा कलस्टर एवं रंगरेज आर्टिजनों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

निदेशालय पत्रांक-1347 दि०-19.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि पत्र के प्रथम पारा में निम्नवत अंकित है।

“दिनांक-10.08.2016 को आयोजित मासिक बैठक में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना वर्ष 2016-17 में भी चलाया जाय।”

उक्त वाक्य को सुधार कर इस प्रकार पढ़ा जाय।

“दिनांक-10.08.2016 को आयोजित मासिक बैठक में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के समरूप वर्ष 2016-17 में योजना चलाई जाय।” (दिनांक-10.08.2016 के बैठक की कार्यवाही संलग्न)

प्रासंगिक पत्र के शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन  
ह०/-  
निदेशक,  
हस्तकरघा एवं रेशम,  
बिहार, पटना।

ज्ञापक-

1546 पटना / दिनांक- 21/9/16  
✓ प्रतिलिपि-आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/9  
निदेशक,  
हस्तकरघा एवं रेशम,  
बिहार, पटना।  
21/9

दिनांक 10.08.2016 को अपराह्न 3.00 बजे से प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में आहूत मासिक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी के अनुसार

कार्यवाही :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा निम्न निदेश दिये गये-

1. मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के समरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी योजना चलाई जाय, इसके लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों से कलरटर का प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।
2. सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र की स्थापना बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में करने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।
3. बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा गया जिले के मानपुर में डाईंग सह पावर लूम उद्योग को बन्द करने संबंधी उठे स्थानीय विवाद पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वरत्र) को निदेश दिया गया कि वे डाईंग एवं पावरलूम उद्योग को सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील आवेदन देने का परामर्श दें।
4. दिनांक 17.06.2016 के आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बुनकर मुद्रा योजना के तहत सर्वप्रथम बांका, भागलपुर, औरंगाबाद, पटना तथा गया के वैसे क्षेत्र जहाँ 50 से अधिक गैर-बकायेदार बुनकर हो, वहाँ कैम्प लगाकर योजना का प्रचार-प्रसार किया जाय तथा बुनकरों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाये।
5. हस्तकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार, सुधार एवं पुनर्निर्माण पैकेज योजनान्तर्गत कम्प्यूटराइजेशन हेतु वास्तविक रूप से कार्यरत पात्र समितियों की सूची अविलम्ब निदेशालय को भेजने तथा लाभ प्राप्त समितियों का ऋण आवेदन पत्र बैंक को भेजने का निदेश सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना को दिया गया।
6. औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखण्ड के बुनकरों को बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभान्वित किये जाने के संबंध में बिहार विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ए-4 से उद्भूत सरकारी आश्वासन सं० 15/14 का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद को दिया गया।
7. सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने जिला अवस्थित बैंकों से दिनांक 31.03.2007 तक हस्तकरघा एवं पावरलूम बुनकरों द्वारा लिए गए ऋण की मूलधन एवं सूद की राशि संबंधी व्यौरा बैंकवार प्राप्त कर जिला पदाधिकारी के माध्यम से यथाशीघ्र विभाग को ऋण प्रस्ताव एवं सूची उपलब्ध करा दें।
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना- सभी महाप्रबंधक (गया एवं भागलपुर को छोड़कर), जिला उद्योग केन्द्र, उप विकास पदाधिकारी (वरत्र) गया/भागलपुर को योजना के अन्तर्गत बुनकर परिवार की सूची एवं विवरणी प्रपत्रानुसार Ms Excel में तैयार कर सॉफ्ट कॉपी में भेजने का निदेश दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि बुनकरों के चयन के समय वह आश्वरत हो लेंगे कि लागू बुनकर दुबारा लाभ प्राप्त न कर सकें।
9. उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिये जाने वाले पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि-

1416

पटना/दिनांक-

30/8/16

1. सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/8  
निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

29/8  
निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।